

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मैना लौहार पत्नी शिवराज लौहार निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- वादीया

बनाम

- 1- शिवराज पुत्र रतन लौहार निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 102/2024 राजस्व वाद


यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।




(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा